

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक—प्र0-10/नक्सल यो0-08-01/2015-5059(S)we, दिनांक—30.09.2022 का प्रतिस्थानी आदेश

243 (९)

पटना, दिनांक -

13/01/26

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग।

विषय:- "वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना— Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Affected Areas (RCPLWEA), Batch-I, 2022-23 के तहत राज्य के चार जिले औरंगाबाद, गया, जमुई एवं लखीसराय अन्तर्गत 28 अद्द पथ (कुल लम्बाई -163.98 कि०मी०) एवं 13 अद्द पुल का निर्माण कार्य, पथ संधारण कार्य, सतह नवीकरण कार्य तथा प्रशासनिक निधि सहित ₹24268.19 लाख (दो सौ बयालिस करोड़ अड़सठ लाख उन्नीस हजार मात्र) रुपये की अनुमानित व्यय पर संलग्न परिशिष्ट-I में उल्लेखित पैकेज के अनुरूप पृथक-पृथक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:- "वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना— Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Affected Areas (RCPLWEA), Batch-I, 2022-23 के तहत राज्य के चार जिले औरंगाबाद, गया, जमुई एवं लखीसराय अन्तर्गत 28 अद्द पथ (कुल लम्बाई -163.98 कि०मी०) एवं 13 अद्द पुल का निर्माण कार्य, पथ संधारण कार्य, सतह नवीकरण कार्य तथा प्रशासनिक निधि सहित ₹24268.19 लाख (दो सौ बयालिस करोड़ अड़सठ लाख उन्नीस हजार मात्र) रुपये की अनुमानित व्यय पर संलग्न परिशिष्ट-I में उल्लेखित पैकेज के अनुरूप पृथक-पृथक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- विषयगत कार्य की निविदा प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् सम्पादित किया जाएगा।
- विषयगत कार्य अन्तर्गत पुल के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वांछित जलीय आंकड़ों के साथ जल संसाधन विभाग, बिहार की अनुमति प्राप्त कर ली जाय।
- ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक—File No.P-17024/ 4(5)/2017-RC (FMS No. 358389), दिनांक—19.05.2022 द्वारा कुल 28 अद्द पथों एवं 13 अद्द पुलों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें केन्द्रांश की राशि—10407.00 लाख एवं राज्यांश की राशि—9286.00 लाख है।
- प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न सूची (परिशिष्ट-I) के कॉलम 20 में अंकित राशि के लिए योजनावार पृथक-पृथक प्रदान किया जाता है।
- पुनरीक्षण की स्थिति में योजनावार पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या -एम-4-53/2007 3758/वि०वि०, दिनांक—31.05.17 के कंडिका 5 के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। संकल्प का कंडिका-5 संलग्न सूची (परिशिष्ट-I) के पृथक-पृथक योजनाओं पर योजनावार लागू रहेगा।
- विषयगत कार्य का वित्त पोषण—वर्तमान वित्तीय वर्ष में केन्द्रांश हेतु मांग संख्या—41 मुख्य शीर्ष "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पुंजीगत परिव्यय—उप मुख्य शीर्ष—04 जिला और अन्य सड़कें लघु शीर्ष—337-सड़क निर्माण कार्य उपशीर्ष—0201-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क परियोजना-वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना-विपत्र कोड—"41-5054043370201" में उपबंधित राशि ₹60000.00 लाख तथा राज्यांश हेतु मुख्य शीर्ष—5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पुंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष—04- जिला और अन्य शीर्ष—337-सड़क निर्माण कार्य—उपशीर्ष—0301-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क परियोजना- वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना विपत्र कोड—41-5054043370301" के अन्तर्गत उपबंधित राशि ₹15400.00 लाख रुपये से विकलनीय होगा। विषयगत पथ संधारण कार्य एवं सतह नवीकरण कार्य विपत्र कोड—41-3054031030002 से विकलनीय होगा।

8. विषयगत कार्यों का कार्यान्वयन संबंधित पथ प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग (संलग्न परिशिष्ट-I के अनुसार) द्वारा कराया जायगा। विषयगत कार्य निमित्त अवर सचिव (ले०/मु०)- सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निकासी पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत अधिकारी-सह- मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को राशि उपलब्ध कराया जायगा।
9. वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-7111, दिनांक-28.07.2022 के अनुपालन में केन्द्रांश एवं राज्यांश में बजट प्रावधानित राशि को CFMS अन्तर्गत Bill Description - Fully Vouchered Contingent Bill एवं Claim Type - Transfer to SNA के विपत्र के माध्यम से SNA में हस्तांतरित किया जाए एवं वाउचर के रूप में स्वीकृतिपत्र को संलग्न किया जाए।
10. पथ निर्माण विभाग के संबंधित कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता इस योजना के कार्य संपादन हेतु व्ययन पदाधिकारी होंगे।
11. विषयगत कार्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किया जाता है :-

वित्तीय लक्ष्य (लाख में)							
वर्ष	बजट व्यय शीर्ष					कुल	भौतिक लक्ष्य
	केन्द्रांश 60% (41-5054043370201)	राज्यांश 40%	अतिरिक्त राज्यांश	कुल राज्यांश (41-5054043370301)	अन्य अनुक्षण व्यय (41-3054031030002)		
2022-2023	10927.12	7284.75	2465.76	9750.51		20677.63	शत प्रतिशत कार्य पूर्ण कर यातायात चालू करना
2023-2024	-	-	-	-	116.21	116.21	पथ संधारण कार्य
2024-2025	-	-	-	-	147.18	147.18	पथ संधारण कार्य
2025-2026	-	-	-	-	305.84	305.84	पथ संधारण कार्य
2026-2027	-	-	-	-	373.43	373.43	पथ संधारण कार्य
2027-2028	-	-	-	-	450.38	450.38	पथ संधारण कार्य
2028-2029	-	-	-	-	2197.52	2197.52	सतह नवीकरण
कुल-	10927.12	7284.75	2465.76	9750.51	3590.56	24268.19	
*मुख्यतः जमुई जिला में 02 अद्द पुल की लम्बाई 100 मीटर से भी अधिक होने के कारण।							

12. मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना विषयगत कार्यों की प्रगति की नियमित रूप से प्रतिमाह समीक्षा करेंगे।
13. इसकी सूचना मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग पटना/ मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता (योजना एवं बजट), पथ निर्माण विभाग, पटना/ सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/ सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग को दे दी गई है।
14. इस योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्रांक P-17034/3/2015- RC(FMS-344707 दिनांक-08.03.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये RCPLWE Programme Guideline January 2017 के अनुसार होना है। कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मानक निविदा अभिलेख पर e-tendering पद्धति से निविदा के माध्यम से होना है।
15. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देश (जनवरी, 2015) की कंडिका 17.2 के अनुसार निर्माण एवं अनुक्षण कार्य एक ही संवेदक के द्वारा किया जाना है। इन योजनाओं के निर्माण के पश्चात् पाँच वर्षों के लिए पथ /पुल संधारण कार्य उसी संवेदक/ एजेन्सी द्वारा किया जायगा, जो निर्माण कार्य किये हैं।

16. ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत पथों में इस योजना से कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ग्रामीण कार्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना सुनिश्चित किया जाएगा।
17. अनुरक्षण एवं संधारण-संविदा अवधि के उपरान्त पथ निर्माण विभाग के अधीन पथों का दीर्घकालीन अनुरक्षण एवं संधारण संबंधित पथ प्रमंडल के तत्समय लागू OPRMC के तहत किया जायगा। अन्य विभागों के अधीन पथों का अनापत्ति पत्र प्राप्त कर कार्य कराया जाएगा एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त संबंधित विभाग को पथांश के संबंध में सूचित कर दिया जाएगा।
18. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 3758 वि०, दिनांक-31.05.2017 के आलोक में प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक में दिनांक-13.09.2022 के मद संख्या 5 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।
19. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ०-224/टि० पर दिनांक 03.12.2025 को प्राप्त है।

ह०/-

(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०को),

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- प्र०-10/नक्सल यो०-08-01/2015-5059(S)we, दिनांक-30.09.2022 का प्रतिस्थानी आदेश पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि :-कोषागार, पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

ह०/-

(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०को),

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- प्र०-10/नक्सल यो०-08-01/2015-5059(S)we, दिनांक-30.09.2022 का प्रतिस्थानी आदेश पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना /प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव-सह-महानिदेशक, National Rural Road Development Agency, 5th floor, 15-NBCC Tower, Bhikaji Cama Place, New Delhi. 110066 / अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना /वित्त विभाग (आय-व्ययक शाखा) पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/औरंगाबाद/गया/जमुई एवं लखीसराय/जिला पदाधिकारी, पटना/औरंगाबाद/ गया/जमुई एवं लखीसराय को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०को),

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- प्र०-10/नक्सल यो०-08-01/2015-5059(S)we, दिनांक-30.09.2022 का प्रतिस्थानी आदेश पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, BSRDCL, पटना/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, पटना विषयगत कार्य के विस्तृत प्राक्कलन को प्रावैधिक स्वीकृति अविलम्ब प्रदान करें।
3. मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, पटना इस कार्य की मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूप से अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

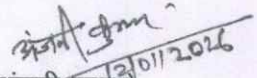
ह०/-

(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०को),

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक :- प्र०-10/नक्सल यो०-08-01/2015-341 (S) we, दिनांक-02.02.2022 का प्रतिस्थानी आदेश 2438 पटना, दिनांक 13/01/22
प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ
निर्माण विभाग, बिहार पटना/ अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव (प्र०को०), पथ
निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता (संविदा), पथ निर्माण विभाग/ मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), पथ निर्माण
विभाग/ अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का प्रकोष्ठ/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना का प्रकोष्ठ/ अवर सचिव (ले०मु०), पथ निर्माण विभाग/आय-व्यय पदाधिकारी, पथ निर्माण
विभाग/कार्यपालक अभियंता, योजना सूत्रण, पथ निर्माण विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, आय-व्ययक
प्रशाखा-9/प्रशाखा-10 एवं 11, पथ निर्माण विभाग, पटना/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/
प्रोजेक्ट लीड, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


(अंजनी कुमार)
13/01/2022

संयुक्त सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।